

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सतहत्तर'

[ 18/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 6681 ]

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-6681 के भाग-(क) की जानकारी

मान. सदस्य - श्री शैलेन्द्र पटेल

सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु शासन द्वारा आवंटित भूमि का विवरण

क्रमांक	विकासक का नाम	क्षमता	जिला	तहसील	ग्राम	आवांठित भूमि (हेक्टेयर में)
1	अहोरा एनर्जी प्रा. लि.	2	राजगढ़	राजगढ़	गनेशपुरा	6.4750
2	जेएसआर डेवलपर्स	1.25	राजगढ़	राजगढ़	गनेशपुरा	4.0469
3	शिव बानी ऊर्जा लि.	2	राजगढ़	राजगढ़	गनेशपुरा	4.0469
4	एन टी पी सी लि.	50	राजगढ़	राजगढ़	गनेशपुरा	123.0730
5	एकमे टेले पॉवर लि.	25	राजगढ़	खिलचिपुर	रामपुरिया, औरपुर, बघेली	74.9120
6	वेलस्पन सोलर मध्य प्रदेश प्रा. लि.	130	नीमच	सिंगरौली	भगवानपुरा, पडलिया, डिकेन	307.0230
7	डेलीजेन्सीया एनर्जी एण्ड इन्फ्रा प्रा.लि.	25	नीमच	जावद	सुगौली	58.0000
8	अल्फा इन्फ्रा प्रा. लि.	20	धार	कृषी	केरवा, कन्हेरी भत्यारी	61.2780
9	आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कम्पनी लि	40	आगर	बरोद	कचालिया	67.8700
10	एसईआई सितारा प्रा. लि.	30	मंदसौर	सीतामऊ	लादुना	26.8280
11	एसईआई एल वोल्टा प्रा. लि.	20	मंदसौर	सीतामऊ	लादुना	28.571 12.514
12	क्लीन सोलर पावर (धार) प्रा.लि.	30	रतलाम	आलोट	गोयल, कमलाखेड़ी	74.0700
13	रिन्यू सोलर (टीएन) प्रा.लि.	50	श्यापुर	विजयपुर	हुलपुर, लाडपुरा	125 15
14	फोकल फोटोवाल्टेक इण्डिया प्रा. लि.	10	मंदसौर	सीतामऊ	छोटी पतलासी	22.5300
15	फोकल रेनेबल एनर्जी टू इण्डिया प्रा. लि.	10	मंदसौर	सीतामऊ	छोटी पतलासी, धाराखेड़ी	15.1500
16	फोकल एनर्जी सोलर वन इण्डिया प्रा. लि.	20	मंदसौर	सीतामऊ	छोटी पतलासी	44.7100
17	टूडे क्लीन एनर्जी प्रा. लि.	20	आगर	बरोद	कंकड़ेल	49.6150
18	ग्लोबस स्टील एण्ड पॉवर प्रा.लि.	20	मंदसौर	सीतामऊ	नाताराम	36.5480

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-6681 के भाग-(ख) की जानकारी

मान. सदस्य - श्री शैलेन्द्र पटेल

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान की जानकारी

क्रमांक	सौर संयंत्र	क्षमता	अनुदान राशि (प्रति एच.पी) (रूपये में)
1.	डी.सी. सोलर पम्प	2 एच.पी. तक	43200/-
		2 एच.पी. से अधिक 5 एच.पी. तक	40500/-
2.	ए.सी. सोलर पम्प	2 एच.पी. तक	37800
		2 एच.पी. से अधिक 5 एच.पी. तक	32400/-
		5 एच.पी. से अधिक 10 एच.पी.* तक	28800/-

\* सोलर पम्प की क्षमता 5 एच.पी. से अधिक होने पर भी केन्द्रीय अनुदान 5 एच.पी. के क्षमता के सोलर पम्प तक ही सीमित रहेगा।